



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 अप्रैल, 1974  
चंद्र 21, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1025/17-वि-1--22-73  
लखनऊ, 11 अप्रैल, 1974

### विज्ञप्ति विविध

भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मेटरनिटी बेनीफिट (निरसन) विधेयक, 1973 पर दिनांक 10 अप्रैल, 1974 ई० की स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मेटरनिटी बेनीफिट (निरसन) अधिनियम, 1974  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1974)  
[जैसा कि उ० प्र० विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]  
यूनाइटेड प्राविन्सेज मेटरनिटी बेनीफिट ऐक्ट, 1938  
का निरसन करने की व्यवस्था करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसव वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मेटरनिटी बेनीफिट (निरसन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह दिनांक 22 फरवरी, 1974 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज मेटरनिटी बेनीफिट ऐक्ट, 1938 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

3—उत्तर प्रदेश मेटरनिटी बेनीफिट (निरसन) अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

संक्षिप्त नाम  
तथा प्रारम्भ

यू० पी० ऐक्ट  
संख्या 4, 1938  
का निरसन

उत्तर प्रदेश अध्या-  
देश संख्या 5,  
1974 का निरसन

No. 1025/XVII-V—1-22-73

IN pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maternity Benefit (Nirasan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 10, 1974:

**THE UTTAR PRADESH MATERNITY BENEFIT (REPEAL) ACT, 1974**

[U. P. ACT No. 4 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

*to provide for the repeal of the United Provinces Maternity Benefit Act, 1938.*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-Fifth Year of the Republic of India as follows :

- |  |   |
|--|---|
| Short title and commencement.            | 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Maternity Benefit (Repeal) Act, 1974. |
|  | (2) It shall be deemed to have come into force on February 22, 1974.                  |
| Repeal of U. P. Act 4 of 1938.           | 2. The United Provinces Maternity Benefit Act, 1938 is hereby repealed.               |
| Repeal of U. P. Ordinance No. 5 of 1974. | 3. The Uttar Pradesh Maternity Benefit (Repeal) Ordinance, 1974, is hereby repealed.  |

आज्ञा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।